



सत्यमेव जयते

(सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटीती प्रस्ताव)

बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र)

फरवरी-मार्च, 2022 की कार्यसूची

(खण्ड-08)

दिनांक-17 मार्च, 2022

माँग संख्या - 41

आय-व्ययक शीर्षक - पथ निर्माण विभाग

184. प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पथ निर्माण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **58,19,02,50,000/-** (अठ्ठावन अरब उन्नीस करोड़ दो लाख पचास हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

185-193. श्री ललित कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अखतरूल ईमान, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम एवं श्री छत्रपति यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 16

आय-व्ययक शीर्षक - पंचायती राज विभाग

194. प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "पंचायती राज विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **98,01,41,19,000/-** (अठ्ठानवे अरब एक करोड़ इकतालीस लाख उन्नीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

195-201. श्री ललित कुमार यादव, श्री अजय यादव, श्री विजय शंकर दूबे, श्री अजय कुमार सिंह, श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रुपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की पंचायती राज नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 08

आय-व्ययक शीर्षक - कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

202. प्रभारी मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "कला, संस्कृति एवं युवा विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **1,76,52,64,000/-** (एक अरब छिहत्तर करोड़ बावन लाख चौंसठ हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 203-206. श्री ललित कुमार यादव, डॉ० रामानुज प्रसाद, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की कला, संस्कृति एवं युवा नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

माँग संख्या - 44

आय-व्ययक शीर्षक - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

207. प्रभारी मंत्री, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए **17,29,59,89,000/-** (सत्रह अरब उनतीस करोड़ उनसठ लाख नवासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

- 208-209. श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय। राज्य सरकार की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए।

शैलेन्द्र सिंह

सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-02/2022- 1329 /वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2022 ई०।

प्रति:-बिहार विधान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-02/2022- 1329 /वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2022 ई०।

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-02/2022- 1329 /वि०स०, पटना, दिनांक- 14 मार्च, 2022 ई०।

प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

14.3.22